


बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

:: अधिसूचना ::

पटना, दिनांक 8.5.19

संख्या-7/स्था0-04-02/2016सा0प्र0.....6180...../महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना के पत्रांक-34523 दिनांक 15.04.2019 द्वारा संसूचित अनुशासा के आलोक में श्री विरेन्द्र कुमार, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-III, किशनगंज का त्याग पत्र इस शर्त पर स्वीकार किया जाता है कि यदि उक्त न्यायिक पदाधिकारी के विरुद्ध कोई लंबित बकाया हो तो उसकी वसूली एकमुश्त कर ली जाय।


बिहार राज्यपाल के आदेश से


8.5.19

(शिवमहादेव प्रसाद)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-7/स्था0-04-02/2016सा0प्र0.....6180...../पटना-15, दिनांक 8.5.19
प्रतिलिपि-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7 तथा ई गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ (दो प्रतियों में) प्रेषित।


8.5.19

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-7/स्था0-04-02/2016सा0प्र0.....6180...../पटना-15, दिनांक 8.5.19
प्रतिलिपि-महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना को उनके पत्रांक-34523 दिनांक 15.04.2019 के प्रसंग में/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/जिला एवं सत्र न्यायाधीश, किशनगंज/श्री विरेन्द्र कुमार, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-III, किशनगंज को महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना के माध्यम से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


8.5.19

सरकार के अवर सचिव।

निबंधित